राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	502/2017 माफ़ी मन्दिर बनाम राजेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का हाथोज, भू.अभि.नि. क्षेत्र जयपुर पश्चिम, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी भूमि अथवा उसके किसी भी भाग में वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा में किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, बाधा, रूकावट, हस्तक्षेप करने तथा बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि में नाजायज प्रवेश करने, नाजायज कब्जा/अतिक्रमण, नीव खोदने, कच्चा-पक्का निर्माण नही करने व मौका की यथास्थिति बनाई रखी ज आने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प दुर्जनियावास में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/06/2017 पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय एवं आदेशिकाओ का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11/04/2017 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01/06/2017 नियत की गयी, परन्तु दिनांक 01/06/2017 की आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही पत्रावली दिनांक 07/06/2017 को न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प दुर्जनियावास में नियत कर आदेशिका में ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुये वादी के वाद को ख़ारिज कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है। कानूनन लोक अदालत/न्याय आपके द्वारा कैम्प में आपसी समझाइश से राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	माफ़ी मन्दिर बनाम राजेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरणों को निस्तारित किया जाना होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर पक्षकारान की बहस समायत किये बिना ही सरसरी तौर पर संक्षिप्त का आदेश अंकित कर वाद को ख़ारिज करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/आदेश निरस्तनीय जाहिर होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/06/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विस्तृत विवेचनात्मक निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर